



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50956-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10415/2014

विजय पाल

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : चंद्र शेखर सरन, शिवकांत मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : राजीव सिंह, स्थाई अधिवक्ता , रामेंद्र प्रताप सिंह

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र,

1. जब यह रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष आई, तो इसे रिट याचिका संख्या 2825/2014 से संबद्ध करने का आदेश दिया गया।
2. रिट याचिका संख्या 2825 वर्ष 2014 का मामला 04.02.2026 को समन्वय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वाद का कारण पुराना हो गया है और समय बीतने के कारण रिट याचिका निष्प्रभावी हो गई है, और परिणामस्वरूप, रिट याचिका को निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, यह छूट दी गई कि यदि कोई मुद्दा शेष रहता है, तो छह सप्ताह के भीतर आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
3. चूंकि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से रिट याचिका संख्या 2825/2014 के समान है, इसलिए इसे उक्त रिट याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया गया था और रिट याचिका संख्या 2825/2014 को निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दिया गया था, रिट याचिका संख्या 2825/2014 में दी गई समान छूट को सुरक्षित रखते हुए, वर्तमान याचिका को भी निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

12 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।